न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 125/2014

अर्जुनराम पुत्र गाडूराम जाति राईका निवासी 13 एम.एल.डी. बी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 12 एम.एल.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. लालचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 12 एम.एल.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना।

'—— रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, घडसाना

दिनांक 14.07.2014

उपस्थिति

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भजनलाल टाक, अभिभाषक रेस्पो.संख्या 1, 2

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 13.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो.1, 2 ने एक प्रा. पत्र उपखंड अधिकारी, घडसाना को कालोनी कंडीशन की शर्त संख्या 8 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पास चक 13 एमएलडी के प.न. 230/03 मु.न. 26 में कि.न. 1 से 13 की भूमि है। मु.न. 27 के कि.न. 1 से 8 की 2.024 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने—जाने हेतु प.न. 230/10 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21तक रास्ता स्वीकृत है इससे आगे प.न. 230/11 मु.न. 27 के कि.न. 1 में से होकर प्रार्थीगण अपने खेत में आते जाते हैं।

13/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं है। अतः निवेदन है कि मु.न. 27 के कि.न. 1 में प.न. 230/3 के मु.न. 26 के साथ–साथ स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि मु.न. 230/03 के काश्तकारों को अपनी में आने–जाने हेतु मौका पर चालू रास्ता है जो वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए प्रा.पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने कि.न. 1 में से रास्ता की मांग की है जबकि प्रार्थीगण मु.न. 230/02 के कि.न. 25 में घूमकर अपनी भूमि में प्रवेश करते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के बाद अधी.न्यायालय ने दिनांक 14.07.2014 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए मु.न. 27 के कि.न. 1 में 5 X 5 मीटर–25 वर्गमीटर यानि 0.0025 है0 रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

वकील रेस्पों.सं. 1 व 2 ने दिनांक 12.07.2017 को जाहिर किया कि वे पैरवी नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन कि मु.न. 27 के कि.न. 1 से 8 की भूमि अपीलार्थी के नाम से दर्ज है। परन्तु प्रार्थीगण ने अधी.न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया और अपीलांट को बिना सुने आदेश पारित कर दिया। इसके अलावा प्रार्थीगण को मु.न. 26 में जाने हेतु कि.न. 5 में रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

वकील अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

13/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा अपील में जो तथ्य उठाये है उनका खंडन रेस्पो. के वकील ने नहीं किया और यह निवेदन किया कि वे पैरवी नहीं करना चाहते है। अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प. न. 230/10 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत शुदा है जिसे प्रार्थीगण ने स्वयं अपने प्रा.पत्र में स्वीकार किया है। उसके पश्चात मु.न. 26 में भूमि प्रार्थीगण की है जिसके कि.न. 5 से वे अपनी भूमि में प्रवेश कर सकते है। रेस्पो. की और नियुक्त वकील द्वारा पैरवी नहीं करने का यही आशय निकाला जा सकता है कि रेस्पो. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध हैं जिससे वे आ–जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2014 निरस्त किया जाता है।

निर्णय दिनांक 13.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)